न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः— 12/29/2019

अपीलार्थीः—
किशनलाल वर्मा प्लॉट नं0 69 अम्बेडकर नगर जयपुर।

प्रत्यर्थीः—
लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः— 21—05—2019

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा—6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 09.03.19 के माध्यम से पूर्व में जिला कलक्टर महोदय अलवर को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 09.03.19 के संबंध में आवेदन पत्र में वर्णित बिन्दूवार सूचना चाही गई थी, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वॉछित सूचनाएं दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वॉंछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 14.05.2019 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया, अपीलार्थी का जवाब जरिये डाक प्राप्त हुआ। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक 725 दिनांक 25.04.19 के माध्यम से जबाब नोटिस पेश किया जिसके द्वारा अवगत कराया है कि उक्त प्रा0पत्र0 दिनांक 09.03.19 के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को पत्रांक 492 दिनांक 22.03.19 से चाही गई सूचना भिजवाई जा चुकी है। किन्तु अपीलार्थी ने अपने जवाब से जाहिर है कि अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।
5. सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 में व्याप्त निर्देशों की अवेहलना की श्रेणी में आता है। अतः उक्त आलोक में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील स्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है एवं लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है की वो तहसीलदार राजगढ जिला अलवर से सूचना प्राप्त कर, यदि चाही गई सूचना देयता की श्रेणी में आती है तो नियमानुसार निःशुल्क अपीलार्थी को उपलब्ध करवावें। अपील अपीलार्थी स्वीकार योग्य है।
6. निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज **दिनांक 21.05.2019** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

(इन्द्रजीत सिंह)
जिला कलक्टर,अलवर